राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक–प.1(1)वित्त/साविलेनि/2017 जयपुर दिनांक– 30.5.18
परिपत्र संख्या 6/2018

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम,2013 के नियम 70(7) एवं 76(4) के अनुसरण में बोलीदाता को नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वंय की लागत से करार बंध–पत्र(Agreement) निष्पादित करना होता है। उक्त स्टाम्प पेपर कितने मूल्य का हो, के संबंध में समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा जानकारी चाहने के क्रम में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में उल्लेख अनुसार व समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार विहित मूल्य के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बोलीदाता की लागत पर करार बंध–पत्र (Agreement) निष्पादित किए जाएँ।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 58 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(a)" राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 58 के अनुसार वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट (works contract) के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी अधिकतम रू 15000/– के अध्यधीन ऐसे कॉन्ट्रेक्ट की राशि/मूल्य 0.25 प्रतिशत की दर से देय है।

(b) माल या सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिए निष्पादित ऐसा कोई करार बंध–पत्र (Agreement) जो वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट (works contract) की परिभाषा में नही आाता हो, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5(g) में वर्णित सामान्य करार बंध–पत्र(Agreement) की परिभाषा में आएगाा जिस पर रू 500/– स्टाम्प डयूटी देय होगी।"

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधिनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार(प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग